कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,

इन्द्रावती भवन, ब्लाक 4, तृतीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

Tel: - 0771-2221371, 2221656, E-mail: cg_encphedcg@nic-in

/ / "विज्ञापन" / /

कमांक 1997 /त.शा.-2/F-116-2023-24/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2023 अटल नगर, दिनांक ०५ ०५ ८३

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल, मुम्बई के निर्देशानुसार अप्रेंटिश ,एक्ट 1961 (यथा संशोंधित) अंतर्गत दशम बैच हेतु नीचे दर्शित ट्रेड में एक वर्ष की अवधि के लिए, व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित है।

आवेदन की अंतिम तिथि 31.05.2023 (रात्रि 11:59 बजे तक)


कं.	ट्रेड का नाम	प्रशिक्षुओं की निर्धारित संख्या विभाग के लिये	शैक्षणिक योग्यता	छात्रवृत्ति प्रतिमाह रूपये में	प्रशिक्षण कार्यक्षेत्र	टीप
1.	सिविल इंजीनियरिंग	डिप्लोमा– 11 डिग्री– 11	छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री / डिप्लोमा ।	डिप्लोमा—8000.00 डिग्री—9000.00	निकटतम जिला मुख्यालय	शासन के निर्देशानुसार अ.जा. हेतु 12 प्रतिशत, अ.ज.जा. हेतु 32 प्रतिशत एवं अ.पि.व. हेतु 14 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रहेगा।
2.	मेकेनिकल इंजीनियरिंग	डिप्लोमा— 05 डिग्री— 05	छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री / डिप्लोमा ।	डिप्लोमा—8000.00 डिग्री—9000.00	निकटतम जिला मुख्यालय	
3.	मार्डन ऑफिस मैनेजमेन्ट	डिप्लोमा– 22	छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट में डिप्लोमा	डिप्लोमा-8000.00	इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर एवं विभाग के अन्य कार्यालयों के लिए।	
	कुल	54		•	-	

आवश्यक जानकारियां :-

- 1. इच्छूक अभ्यर्थी दिनांक 10.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से 31.05.2023 (रात्रि 11:59 तक) की समयावधि में ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
- 2. आवेदन करने वाले प्रत्येक आवेदक को भारत शासन की वेबसाईट www.mhrdnats.gov.in पर इन्रोल करना आवश्यक होगा बिना इन्रोलमेंट के आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
- 3. अप्रेंटिश एक्ट 1961 (यथासंशोधित) पर संक्षिप्त विवरण के लिए विभाग की विभागीय वेबसाईट www.phed.cg.gov.in का अवलोकन करें। विस्तृत विवरण भारत सरकार की वेबसाईट <u>www.apprentice.engineer.com</u> पर देखी जा सकती है।
- 4. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने की तिथि से ज्वांइन करने तक 03 वर्ष से अधिक अंतराल होने की स्थिति में आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जावेगा।
- 5. शिक्षु प्रशिक्षण मंडल मुम्बई के पत्र कमांक 13294 दिनांक 08.10.2001 अप्रेंटिश एक्ट 1961 के अनुसार प्रशिक्षण उपरांत विभाग नियुक्ति देने हेतु बाध्य नहीं रहेगा तथा इस हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- छात्रवृत्ति के अतिरिक्त कोई अन्य लाभ प्रशिक्षुओं को देय नहीं होगा।
- 7. प्रशिक्षण अविध में प्रशिक्षुता अधिनियम के अनुसार 12 आकस्मिक अवकाश, 15 मेडिकल अवकाश ही प्रदान किये जायेंगे, इनके अतिरिक्त समस्त शासकीय अवकाश भी मान्य रहेंगे। इसके अतिरिक्त अवकाश होने पर प्रशिक्षण निरस्त किया जा सकेगा।
- 8. प्रशिक्षण अवधि में बिना कारण त्याग पत्र दिया जाना मान्य नहीं होगा, त्याग पत्र के मान्य कारण (i) गंभीर बीमारी (ii) उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश (iii) किसी विभाग में नियुक्ति होने पर निर्धारित है। बिना कारण प्रशिक्षण छोड़ने की स्थिति में प्रशिक्षु को 03 माह की छात्रवृत्ति की राशि वापस करनी होगी।
- 9. सफलता पूर्वक लगातार 01 वर्ष तक प्रशिक्षण पूर्ण करने पर अप्रेंटिसशिप के क्षेत्रीय निर्देशक मुम्बई द्वारा स्थाई प्रमाण पत्र प्रदाय किया जायेगा एवं अस्थाई प्रमाण पत्र संबंधित प्रशिक्षण कार्यालय से लिया जा सकेगा।
- 10. ऐसे आवेदक जो पूर्व में अप्रेंटिश ,एक्ट 1961 का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं वे इस प्रशिक्षण में पुनः शामिल नहीं किये जावेंगे।
- 11. पर्याप्त संख्या में डिग्री या डिप्लोमा के आवेदक नहीं मिलने पर संख्या परस्पर उसी ट्रेड अथवा अन्य ट्रेड में समायोजित की जायेगी।
- 12. प्रत्येक ट्रेड हेतु अंतिम सेमेस्टर/अंतिम वार्षिक परीक्षा के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची (सामान्य, अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व) अलग-अलग बनाई जायेगी। जिनके आधार पर चयन किया जावेगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने के फलस्वरूप एवं अन्य कारणों से रिक्त होने वाली सीटों के फलस्वरूप उद्भूत होने वाली रिक्तियों की पूर्ति प्रतीक्षा सूची से की जावेगी।
- 13. ऑनलाईन आवेदन के लिये आवेदक को कोई भी आवेदन शूल्क देय नही है।
- 14. वित्तीय वर्ष 2023—24 विभागीय बजट में प्रावधानित राशि अनुसार प्रशिक्षुओं की संख्या निर्धारित कर चयन की प्रक्रिया की जा रही है। पश्चात में राज्य शासन से अतिरिक्त राशि उपलब्ध होने पर प्रशिक्षुओं के संख्या में अनुपातिक वृद्धि की जा सकेगी, जिनका चयन प्रतिक्षा सूची से किया जा सकेगा।
- 15. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- 16. आवेदक आवेदन फार्म में वांछित समस्त प्रमाण पत्रों एवं फोटोग्राफ्स निर्धारित मापदंड अनुसार अपलोड करें।

(डॉ. एम.एल.अग्रवाल) प्रमुख अभियंता व्योक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने हेतू नीचे दिये New Registration बटन पर क्लिक करें।
- यदी आवेदक ने ऑनलाइन आवेदन कर लिया है तब वे Print Application बटन पर क्लिक कर के अपने द्वारा भरे गये फॉर्म को देख सकता है |



New Registration

 New Registration बटन पर क्लिक करने पर दिचे दिया गया फॉर्म खुलेगा जिस पर आवेदक निम्न जानकारियों को भर कर Proceed बटन पर क्लिक करें।

आवेदक नीचे मांगी गयी जानकारियां भरें :-


- 1. भारत शासन की वेब साईट WWW.MHRDNATS.GOV.IN मे रजिस्ट्रेशन उपरांत प्राप्त एनरोलमेंट नंबर
- 2. आवेदक की ई.मेल आई.डी.
- 3. इमेज मे दिया गया कैप्चा कोड

STEP-1



Proceed बटन पर क्लिक करने के बाद मुख्य ऑनलाइन रिजस्ट्रेशन फॉर्म प्रदर्शित होगा जहां
आवेदक मांगी गयी जानकारियों को भरें –

STEP-2



आवेदक फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करें

आवेदक नीचे मांगी गयी जानकारियां भरें :-


- 1. फोटो अपलोड 50KB
- 2. हस्ताक्षर अपलोड 30KB



• फाइल का चयन करने पर अपलोड से पूर्व चुनी गयी फाइल का अवलोकन करने जैसा का नीचे इमेज मे दिया गया है |



• अवलोकन करने के बाद अपलोड बटन पर क्लिक करें जिसे जिससे फाइल अपलोड हो जाएगी जैसा की नीचे इमेज में दिया गया है |



आवेदक की सामान्य जानकारी

- 1. आवेदित ट्रेड का नाम
- 2. आवेदक का पूरा नाम
- 3. पिता / पति का नाम
- 4. NATS में एनरोलमेंट उपरांत प्राप्त एनरोलमेंट क्रमांक
- 5. आवेदक की ई.मेल आई.डी.
- 6. आवेदक का मोबाइल नंबर
- 7. अभिवावक का मोबाइल नंबर
- 8. गृह जिला
- 9. आवेदक की जन्मतिथि
- 10. आवेदक की उम्र
- 11.राष्ट्रीयता
- 12. लिंग
- 13. जिले का पिनकोड
- 14. पंजीयन का दिनांक
- 15. आवेदक का वर्तमान पता
- 16. आवेदक का स्थायी पता
- 17. वर्तमान पता ही स्थायी पता है




शैक्षणिक योग्यता

- 1. डिग्री / डिप्लोमा
- 2. विश्वविद्यालय / बोर्ड
- 3. अंतिम सेमेस्टर का पूर्णांक
- 4. अंतिम सेमेस्टर का प्राप्तांक
- 5. अंतिम सेमेस्टर का प्रतिशत
- 6. अंतिम सेमेस्टर की अंकसूची मे उत्त्तीर्ण करने का दिनांक



दस्तावेज़ अपलोड

- 1. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी है ? (हाँ या नहीं का चयन करें)
- 2. आवेदक की जाति
- 3. अंतिम सेमेस्टर की अंकसूची
- 4. 10 वीं की अंकसूची
- 5. 12 वीं की अंकसूची (वैकल्पिक)



Declaration / घोषणा


आवेदक नीचे मांगी गयी जानकारियां भरें :-

- 1. I Agree / मैं सहमत हूँ
- 2. इमेज मे दिया गया कैप्चा कोड डालें




 Proceed बटन पर क्लिक करें जिसके बाद एक preview बॉक्स प्रदर्शित होगा जहाँ आवेदक अपने द्वारा दी गयी सभी जानकारियों का मिलान करने के बाद नीचे save बटन पर क्लिक करें |

STEP-3



• save होने के बाद आवेदक कर रिजस्ट्रेशन पूर्ण हो जायेगा और एक पेज प्रदर्शित होगा जहाँ आवेदक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को print कर सकते हैं |




आवेदक ऑनलाइन Generate हुए Registration Number को नोट कर के रख लेवें |

STEP-4



यदी आवेदक ने ऑनलाइन आवेदन कर लिया है तब वे Print Application बटन पर क्लिक कर के अपने फॉर्म को पुनः देख सकता है


- भारत शासन की वेब साईट WWW.MHRDNATS.GOV.IN मे रिजस्ट्रेशन उपरांत प्राप्त एनरोलमेंट नंबर
- ऑनलाइन Registration के पश्चात प्राप्त Registration No.
- इमेज मे दिया गया कैप्चा कोड



लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , छत्तीसगढ़

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मे अप्रेन्टिस , एक्ट १९६१ (संसोधित १९७३ एवं १९८६) अंतर्गत प्रशिक्षण वर्ष २०२२-२०२३ हेतु आवेदन फॉर्म

आवेदक द्वारा सभी जानकारी अंग्रेजी के ब्लाक लेटर मे भरी जावें



ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हेतू दिशा निर्देश

- (1) आवेदक का भारत शासन की वेब साईट www.mhrdnats.gov.in मे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है|
- (2) आवेदक की डिग्री / डिप्लोमा सर्टिफिकेट अंतिम सेमेस्टर उत्तीर्ण दिनांक से 3 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए |
- (3) आवेदक की फोटो तथा हस्ताक्षर की फाइल का प्रकार JPG / PNG फोर्मेट मे होना चाहिए |
- (4) आवेदक की फोटो की फाइल की साइज़ 50 KB से अधिक नही होनी चाहिए |
- (5) आवेदक की हस्ताक्षर की फाइल की साइज़ 30 KB से अधिक नही होनी चाहिए |
- (6) आवेदक के दस्तावेज जैसे मूल निवास , जाति प्रमाण पत्र (अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व.),अंतिम सेमेस्टर की अंक सूची, 10 वी तथा 12 वी की अंक सूची PDF फॉर्मेट मे होनी चाहिए तथा साइज़ 100 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए

चयन हेतू दिशा निर्देश

- (1) प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 यथा संशोधित में उल्लेखित समस्त शर्त लागु होंगी |
- (2) उपस्थिति उपरांत प्रशिक्षुओ द्वारा प्रशिक्षु मंडल द्वारा अनुबंध हेतु मांगी जाने वाली सहमति दिया जाना आवश्यक होगा | सहमति नहीं दिये जाने की स्थिति में प्रशिक्षण हेतु चयन निरस्त माना जावेगा|
- (3) प्रशिक्षण के दौरान डिग्रीधारी प्रशिक्षु को छात्रवृति के रूप में रु प्रतिमाह 9000 एवम् डिप्लोमाधारी को रु. 8000 प्रतिमाह छात्रवृति प्रदान की जावेगी |
- (4) प्रशिक्षण अविध में प्रशिक्षुता अधिनियम के अनुसार 12 आकस्मिक अवकाश एवम 15 मेडिकल अवकाश की पात्रता रहेगी तथा समस्त शासकीय अवकाश भी मान्य रहेंगे | उपरोक्त के अतिरिक्त अवकाश होने पर प्रशिक्षण निरस्त किया जा सकेगा |
- (5) प्रशिक्षण अवधि में बिना कारण त्याग पत्र दिया जाना मान्य नहीं होगा त्याग पत्र के मान्य कारण गंभीर बीमारी उच्चा शिक्षा हेतु प्रवेश किसी विभाग में नियुक्ति होना निर्धारित है| बिना कारण प्रशिक्षण छोड़ने की स्तिथि में प्रशिक्षु को 03 माह की छात्रवृति की राशि विभाग में जमा करनी होंगी |
- (6) प्रशिक्षण अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर निरस्त किया जा सकता है |
- (7) प्रशिक्षण के पश्चात विभाग नौकरी देने के बाध्य नहीं होगा |
- (8) प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत स्थाई प्रमाण पत्र मुंबई मुख्यालय से प्राप्त होगा |